

न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.
(आप.प्रक.क्रमांक :- 847 / 2014)
(संस्थित दिनांक :- 22 / 09 / 2014)

म.प्र. राज्य,
 द्वारा आरक्षी केन्द्र :- गोहद
 जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन

/// विरुद्ध ///

01. गोपाल उर्फ रामगोपाल जाटव पुत्र रघुवीर जाटव उम्र 52 वर्ष
 निवासी :- ग्राम कमलापुर, थाना-गोहद, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।

..... अभियुक्त

/// निर्णय ///

(आज दिनांक : 12 / 04 / 2017 को घोषित)

01. अभियुक्त गोपाल उर्फ रामगोपाल पर धारा 354 एवं 506 भाग II भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपी ने दिनांक :- 12 / 08 / 2014 को शाम लगभग 06:30 बजे फरियादी श्रीमती ममता जाटव का घर स्थित ग्राम कमलापुरा में, फरियादी ममता जो कि एक महिला है, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं फरियादी ममता को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक : 12 / 08 / 2014 को शाम लगभग 06:30 बजे फरियादी श्रीमती ममता जाटव का घर स्थित ग्राम कमलापुरा में, आरोपी द्वारा फरियादी ममता का बुरी नियत से हाथ पकड़कर खींचने एवं जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी ममता द्वारा दिनांक : 21 / 08 / 2014 को थाना गोहद पर की जाने पर, थाना गोहद में आरोपी गोपाल के विरुद्ध अपराध क्रमांक 284 / 2014 अन्तर्गत धारा 354 एवं 506 भाग II भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान फरियादी ममता के न्यायालय के समक्ष धारा 164 द.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध किये गये। घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। फरियादी ममता जाटव, साक्षी हीरालाल, सीताराम एवं वासदेव के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्त गोपाल उर्फ रामगोपाल के विरुद्ध धारा 354 एवं 506 भाग II भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं:-

01. क्या आरोपी गोपाल उर्फ रामगोपाल ने दिनांक :- 12/08/2014 को शाम लगभग 06:30 बजे फरियादी श्रीमती ममता जाटव का घर स्थित ग्राम कमलापुरा में, फरियादी ममता जो कि एक महिला है, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी ममता को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

03. अंतिम निष्कर्ष ?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय प्रश्न क्रमांक :- 01 एवं 02

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी ममता अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी गोपाल को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 14/05/2015 से करीबन एक-डेढ़ साल पहले की शाम की बात है। साक्षी आगे कहती है कि उस दिन वह घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। उसी समय आरोपी गोपाल आया और उसने उसका हाथ पकड़ा और घर के अन्दर ले जाने लगा, कह रहा था कि उल्टे काम करना है। साक्षी आगे कहती है कि उसके भाई साहब उस दिन घर पर नहीं थे, वह भैंस चराने गये थे। उसके बाद उसके भाई सीताराम आ गये, तब आरोपी गोपाल, सीताराम को देखकर भाग गया। उस दिन उसके पति हीरालाल ग्वालियर काम करने के लिए गये थे। साक्षी आगे कहती है कि वह रिपोर्ट के लिए अपने पति हीरालाल के साथ थाना गोहद आई थी, जो प्र.पी.01 है। पुलिस बाद में गांव आई थी, घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.02 है। पुलिस ने उससे पूछताछ कर

उसका बयान लिया था। साक्षी आगे कहती है कि वह कोर्ट में भी बयान देने के लिए आई थी, जो प्र.पी.03 है। उमाकान्त अ.सा.04 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह दर्शित किया है कि दिनांक : 21/08/2014 वह थाना गोहद में एसआई के पद पर पदस्थ था। उस दिन फरियादी ममता अ.सा.01 ने आरोपी गोपाल उर्फ रामगोपाल के विरुद्ध रिपोर्ट की थी, जिस पर से उसने अपराध क्रमांक 284/2014 अन्तर्गत धारा 354 एवं 506 भाग II भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेखबद्ध की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उमाकान्त अ.सा.04 के उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों से भी हो रही है। उमाकान्त अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराये जाने संबंधी ममता अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि होती है।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में फरियादी ममता अ.सा.01 का कहना है कि वह घटना वाले दिन ऑगन में झाड़ू लगा रही थी और घटना रात के नौ बजे की है। कथन अन्तर्गत धारा 164 द.प्र.सं. में भी ममता अ.सा.01 का कहना है कि घटना के समय वह घर में झाड़ू लगा रही थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में फरियादी ममता अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि घटना शाम के 06 बजे की नहीं है, बल्कि रात के समय की है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में फरियादी ममता अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 उसके पुलिस कथन एवं कथन अन्तर्गत धारा 164 द.प्र.सं. प्र.पी.03 में घटना शाम 06 बजे की होना नहीं लिखाया था, रात के नौ बजे की होना लिखाया था। जबकि स्वयं के द्वारा लेखबद्ध कराई गई रिपोर्ट प्र.पी.01 में फरियादी ममता ने घटना का समय शाम 06:30 बजे का होना बताया है, ना कि रात्रि 09:00 बजे का। साथ ही ममता अ.सा.01 ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01, में घटना के समय उसके द्वारा झाड़ू लगाना दर्शित ना करते हुए स्वयं का दरवाजे पर खड़ा होना दर्शित किया है। इस प्रकार घटना के समय एवं घटना के समय फरियादी ममता अ.सा.01 क्या कर रही थी, इस वावत् फरियादी ममता अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य, कथन अन्तर्गत धारा 164 द.प्र.सं. प्र.पी.03 एवं उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

10. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में फरियादी ममता अ.सा.01 का कहना है कि घटना के दो घण्टे बाद सीताराम आये थे। जबकि स्वयं फरियादी ममता द्वारा मुख्य परीक्षण में यह दर्शित किया गया है कि घटना के समय उसके भाई सीताराम अ.सा.03 आ गये थे, जिसे देखकर आरोपी गोपाल भाग गया था। इस प्रकार घटना के समय सीताराम के समय सीताराम आ गया था, अथवा घटना के दो घण्टे बाद आया था, इस वावत् स्वयं फरियादी ममता अ.सा.01 के मुख्य परीक्षण एवं प्रति-परीक्षण के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में फरियादी ममता अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसका जेठ सीताराम अ.सा.03 ने रामगोपाल को मौके पर नहीं पकड़ा था। जबकि कथन अन्तर्गत धारा 164 द.

प्र.सं. प्र.पी.03 में फरियादी ममता का यह कहना है कि घटना के समय उसके जेट सीताराम ने आकर आरोपी रामगोपाल उर्फ गोपाल को पकड़ लिया और उसके बाद गोपाल भाग गया था। इस प्रकार इस वावत् फरियादी ममता अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके कथन अन्तर्गत धारा 164 द.प्र.सं. प्र.पी.03 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

11. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में फरियादी ममता अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि रात्रि 10:00 बजे उसका जेट सीताराम एवं मौहल्ले के लोग आ गये थे, जिससे उसे रात को कोई डर नहीं लगा था और उसने अपने पुलिस कथन प्र.डी.01 में यह नहीं लिखाया था कि वह डर की वजह से रिपोर्ट को नहीं गई थी। जबकि उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 में इस तथ्य का उल्लेख है कि आरोपी द्वारा यह धमकी दिये जाने के कारण, कि रिपोर्ट करने गई तो तेरे आदमी को जान से खत्म कर देंगे, वह डर के कारण रिपोर्ट करने के लिए नहीं गई थी। इस प्रकार घटना दिनांक को ही फरियादी ममता अ.सा.01 द्वारा आरोपी की धमकी से प्रभावित होकर डर की वजह से रिपोर्ट नहीं की गई थी, इस वावत् फरियादी ममता अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है। उल्लेखनीय है कि यदि फरियादी ममता को आरोपी से कोई डर नहीं था तो उसे घटना दिनांक को ही, उसके अगले दिन घटना की रिपोर्ट करनी चाहिए थी, जो कि उसके द्वारा नहीं की गई।

12. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 09 में ममता अ.सा.01 का कहना है कि उसके पति घटना के दूसरे दिन दो को आ गये थे, फिर वह पति एवं जेट सीताराम सुबह रिपोर्ट लिखाने गोहद थाने गये थे, रिपोर्ट सुबह लिखी गई थी, जो कि उसके पति ने बोलकर लिखवाई थी और उसका अंगूठा लगवा दिया गया था। साक्षी आगे कहती है कि चूँकि रिपोर्ट उसने नहीं की थी इसलिए रिपोर्ट प्र.पी.01 में उसके पति ने क्या लिखवाया इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। तत्पश्चात् फरियादी ममता अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि घटना के आठ दिन बाद उसने थाने पर कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में फरियादी ममता के पति हीरालाल अ.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि वह घटना के दस दिन बाद पति को लेकर रिपोर्ट करने गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि दिनांक : 12/08/2014 की घटना की रिपोर्ट दिनांक : 21/08/2014 को लेखबद्ध कराई गई है, ना कि घटना के अगले दिन। इस प्रकार घटना की रिपोर्ट घटना के अगले दिन लेखबद्ध कराई गई अथवा या घटना के आठ दिन अथवा दस दिन पश्चात्, इस वावत् फरियादी ममता अ.सा.01, उसके पति हीरालाल अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं ममता अ.सा.01 द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

13. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 09 में ममता अ.सा.01 का कहना है कि पुलिस द

।टना के दूसरे दिन उसके गांव मौके पर आई थी और दूसरे दिन ही नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था और उस पर उसका अंगूठा लगवाया था। जबकि प्रकरण के विवेचक नानक चन्द्र यादव अ.सा.05 का उसके मुख्य परीक्षण में कहना है कि उसने दिनांक : 22/08/2014 को अर्थात् घटना के लगभग दस दिन पश्चात् घटनास्थल पर पहुँचकर नक्शा-मौका बनाया था। नक्शा-मौका प्र.पी.02 के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि उक्त नक्शा-मौका प्र.पी.02 दिनांक : 12/08/2014 को या उसके अगले दिन निर्मित ना किया जाकर दिनांक : 22/08/2014 को बनाया गया है। इस प्रकार नक्शा-मौका कब बनाया गया, इस वावत् फरियादी ममता अ.सा.01, विवेचक नानक चन्द्र अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं नक्शा-मौका प्र.पी.02 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभाष है।

14. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 09 में ममता अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके पति ने भारत सिंह गुर्जर खरौआ के यहाँ जमीन गिरवी रखी थी, जिसे छुड़ाने के लिए उसने आरोपी रामगोपाल से 20,000/- रुपये जमीन छुड़ाने के लिए लिये थे, जो कि अभी तक प्रति हीरालाल ने रामगोपाल को वापस नहीं किये हैं। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उक्त पैसा ना देना पड़े इसलिए रिपोर्ट की गई है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में फरियादी ममता अ.सा.01 के पति हीरालाल अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने भारत सिंह के यहाँ खेत गिरवी रखा था, परन्तु इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने आरोपी रामगोपाल से बीस हजार रुपये उधार लिये थे और इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उधार के पैसे वापस ना देने पड़े इसलिए आरोपी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की है। इस प्रकार आरोपी रामगोपाल से फरियादी ममता के पति हीरालाल अ.सा.02 द्वारा रुपये उधार लिये गये अथवा नहीं और उक्त रुपये ना चुकाने पड़े इस कारण हस्तगत प्रकरण में झूठी रिपोर्ट की गई, अथवा नहीं, इस वावत् फरियादी ममता अ.सा.01 एवं उसके पति हीरालाल अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभाष है। लेकिन फरियादी ममता अ.सा.01 की उक्त स्वीकारोक्ति से यह दर्शित होता है कि आरोपी द्वारा दिये गये रुपये वापस ना करना पड़े, इसलिए फरियादी द्वारा आरोपी के विरुद्ध असत्य रिपोर्ट की गई है।

15. दिनांक : 01/09/2014 को लेखबद्ध किये गये फरियादी ममता अ.सा.01 के कथन अन्तर्गत धारा 164 द.प्र.सं. में ममता अ.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि आरोपित घटना चार दिन पूर्व की है, जिसका अर्थ है कि घटना दिनांक : 28/08/2014 की है। जबकि स्वयं फरियादी ममता अ.सा.01 के द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के अनुसार घटना दिनांक : 12/08/2014 की है। इस प्रकार घटना की तिथि के संबंध में फरियादी ममता अ.सा.01 के कथन अन्तर्गत धारा 164 द.प्र.सं. प्र.पी.03 एवं उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभाष है।

16. साक्षी हीरालाल अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी गोपाल को जानता है। घटना दिनांक : 12/08/2014 की शाम के 06—06:30 बजे की थी। वह उस दिन ग्वालियर मजदूरी के लिए गया था। उसकी पत्नी ममता ग्राम कमलापुर में थी। उस दिन आरोपी गोपाल उसकी पत्नी के हाथ पैर पकड़कर घर के अन्दर ले जा रहा था और कह रहा था कि गलत काम करेंगे। साक्षी आगे कहता है कि उक्त बात उसे ग्वालियर से वापस आने पर उसकी पत्नी ममता एवं उसके भाई सीताराम ने बताई थी। उसके बाद वह अपनी पत्नी को लेकर थाना गोहद गया था, रिपोर्ट उसकी पत्नी ने लिखवाई थी। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। पुलिस गांव में घटना के तीन—चार दिन बाद आई थी।

17. मुख्य परीक्षण में हीरालाल अ.सा.02 का कहना है कि घटना की जानकारी उसे ग्वालियर से वापस आने पर पत्नी ममता अ.सा.01 एवं भाई सीताराम अ.सा.03 द्वारा दी गई थी। प्रति—परीक्षण के पद क्रमांक 04 में हीरालाल अ.सा.02 का कहना है कि उसे घटना की जानकारी फोन पर दिनांक : 21/08/2014 को सुबह उसकी पत्नी ममता अ.सा.01 उसके भाई सीताराम अ.सा.03 के द्वारा दी गई थी। जबकि सीताराम अ.सा.03 का उसके प्रति—परीक्षण के पद क्रमांक 07 में इस वावत् कहना है कि उसने घटना दिनांक की शाम सात बजे हीरालाल को फोन किया था। इस प्रकार घटना की जानकारी हीरालाल अ.सा.02 को घटना दिनांक : 12/08/2014 को दी गई थी अथवा दिनांक : 21/08/2014 को, इस वावत् हीरालाल अ.सा.02 एवं उसके भाई सीताराम अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य विरोधाभास है। हीरालाल अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से वह घटना का चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर, अनुश्रुत साक्षी मात्र होना दर्शित होता है। इसलिए इस साक्षी की साक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

18. साक्षी सीताराम अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी गोपाल को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 14/05/2015 से पिछले साल के साढ़े छः बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि उस दिन वह पशु लेकर घर आ रहा था, तब आरोपी गोपाल उसकी बहू का हाथ पकड़कर खींच रहा था। आरोपी अंदर की तरफ उसकी बहू को खींच रहा था, तब आरोपी गोपाल उसे देखकर भाग गया था और आरोपी गाली देकर भागा था। साक्षी आगे कहता है कि उस समय उसका भाई हीरालाल जो ममता का पति है, वह ग्वालियर में मजदूरी कर रहा था, उसको उसने फोन करके ग्राम कमलापुर बुलाया था। साक्षी आगे कहता है कि घटना के आठ—दस दिन बाद ममता ने ने थाने जाकर रिपोर्ट की थी। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था।

19. साक्षी सीताराम अ.सा.03 घटना शाम 06:30 बजे की होना बताता है। जबकि उसकी बहू फरियादी ममता अ.सा.01 घटना रात्रि 09:00 बजे की होना बताती है। इस प्रकार घटना के समय के संबंध में सीताराम अ.सा.03 एवं फरियादी ममता अ.सा.01 के

न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

20. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी गोपाल उर्फ रामगोपाल ने दिनांक :- 12/08/2014 को शाम लगभग 06:30 बजे फरियादी श्रीमती ममता जाटव का घर स्थित ग्राम कमलापुरा में, फरियादी ममता जो कि एक महिला है, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं फरियादी ममता को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

अंतिम निष्कर्ष

21. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी गोपाल उर्फ रामगोपाल के विरुद्ध धारा 354 एवं 506 भाग II भा.द.सं. के आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी को धारा 354 एवं 506 भाग II भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

22. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद